

फद अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

रिशोर उर्फ कशोर

विपक्षी

वाली

मुकदमा

212 P.T. 126

पत्रावली संख्या

92/15

सन

क

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

07/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रस्यो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक...14/12/21.....को पेश हो।

16/12/2021

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मध्य विपक्षी कर
तलबी मध्य विपक्षी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर
सूत्र वाद के साथ तलब की गई।

उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो
जाने से अब पत्रावली में कोई कार्यवाही
नहीं चाहकर प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्र.पत्र
को ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता
द्वारा की गई। अतः प्रकरण में उभय
पक्ष कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना
पत्र धारा 212 Pt. 126 एवं काउन्टर प्र.पत्र
इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पूर्व
में जारी अन्तरिम आस्था निषेधाज्ञा हटाई
जाती है। पत्रावली केसल सुधार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

रिशोर
Rishor had Omg 2
वादी At

वाली



liberty by me